फैक्स/अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण/मा0 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण/

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

बी0एन0लहरी मार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-परिपत्र संख्या-56 /2013

दिनाँक: लखनऊ:अक्टूबर08 ,2013

सेवा में,

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0।
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि अधिकारीगण मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मन/व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश पर भी मा0 न्यायालय में नियत तिथि पर उपस्थित नही होते है या उनके द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को मा0 न्यायालय में स्वयं के स्थान पर उपस्थित होने हेतु भेज दिया जाता है जिसके कारण ऐसे प्रकरणों में मा0 न्यायालय द्वारा अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति हेतु आदेश पारित किये गये है। वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-2788/2011 महेन्द्र पाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 05.07.2013 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद की व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु आदेश पारित किये गये थे जिसका अनुपालन न होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के विरुद्ध बिना जामानती वारण्ट निर्गत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद सहित अधोहस्ताक्षरी की व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु आदेश पारित किये गये है।

अत: आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 न्यायालयों द्वारा निर्गत सम्मन/व्यक्तिगत उपस्थिति सम्बन्धी जो भी आदेश पारित किये जायें उसका अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। भविष्य में इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जायें।

आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि मा0 न्यायालयों के निर्णय की अवहेलना होने पर आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

(देवराज नागर) 8-10-13
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर-प्रदेश।